ग्राहक के लिए नियम तथा शर्तें

एक ग्राहक के रूप में आप "जिओ मनी अकाउंट" खोलने तथा "जिओ मनी सर्विसेस" का लाभ उठाने पर सहमत हैं, जिसके लिए आपको निम्नलिखित नियमों तथा शर्तों को स्वीकार तथा अनुमोदन (सब्सक्राइब) करना होगा, जो आप (i) www.jiomoney.com (**"वेबसाइट"**) पर उपलब्ध उपभोक्ता आवेदन फॉर्म (कंज्यूमर एप्लीकेशन फॉर्म) के अंत में "I Agree" के बटन पर क्लिक करके अथवा (ii) उपभोक्ता आवेदन फॉर्म के कागज़ी स्वरूप को कार्यान्वित करके कर सकते हैं अथवा (iii) RPSL की मोबाइल ऐप में टर्म्स एण्ड कंडीशन्स के अंत में "I Agree" के बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। आपके द्वारा इन नियमों तथा शर्तों को स्वीकार किया जाना बिना शर्त, असीमित तथा बिना किसी प्रतिबंध वाला होगा।

आपको यह भी घोषित करना होगा कि आपके द्वारा पंजीकरण तथा जिओ मनी अकाउंट एवं जिओ मनी वैलेट खोलने के लिए जो भी सूचनाएं प्रदान की गयी हैं तथा/अथवा स्वयं–प्रमाणित KYC दस्तावेज़ों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गयी हैं, वे सभी सत्य तथा वैध हैं एवं वे RPSL के पास निहित रहेंगी। आपको यह भी पुष्टि करनी तथा अनुमति देनी होगी कि यहां जो भी दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गये हैं, वे सभी संबंधित तथा लागू नियमों एवं KYC की आवश्यकताओं के पालन को सुनिश्चित करने के लिए RPSL द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं।

1. परिभाषाएं

a. **"लागू कानून"** का अर्थ है कोई भी अधिनियम, कानून, नियम, अध्यादेश, विधान, निर्णय, अधिसूचना, सामान्य कानून का विधान, आदेश, सरकारी आदेश, उपविधि, सरकारी स्वीकृति, निर्देश, मार्ग निर्देश, आवश्यकता अथवा अन्य सरकारी प्रतिबंध, अथवा इसी प्रकार का कोई निर्णय या निश्चय अथवा कोई अन्य व्याख्या, नीति या प्रबंधन, कोई लागू कानून, जो किसी पूर्वगामी या किसी अन्य सरकारी अधिकारी या प्रबंधक द्वारा जारी किया गया हो, जिसको उस विवादित विषय में न्यायाधिकार प्राप्त हो, जो नियम तथा शर्तें वर्तमान में अथवा बाद में भी प्रभावशाली हों, जिनमें RBI के मार्गनिर्देश भी शामिल होंगे।

b. **"आवेदनकर्ता"** का अर्थ है वह वैधानिक तथा प्राकृतिक व्यक्ति जो जिओ मनी सर्विसेस के लिए आवेदन करे।

c. **"एजेन्ट"/डीलर** का अर्थ है एजेन्ट (एजेन्ट्स) डीलर (डीलर्स) जिनकी नियुक्ति RPSL द्वारा जिओ मनी सर्विसेस से संबंधित गतिविधियों को संभालने (सपोर्ट) के लिए की गयी हो, इनमें इसी कार्य के लिए उन एजेन्ट्स तथा डीलर्स द्वारा नियुक्त किए गये सब–एजेन्ट (एजेन्ट्स) भी शामिल हैं।

d. **"ग्राहक"** का अर्थ है वह आवेदनकर्ता जिसने CAF आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद प्रस्तुत किया है तथा जो RPSL द्वारा RBI मार्गनिर्देश के अनुसार योग्य पाया गया है तथा जिसने जिओ मनी अकाउंट खोला है ताकी उसे जिओ मनी सर्विसेस उपलब्ध हो सके।

e. **"उपभोक्ता आवेदन फॉर्म" (कंज्यूमर एप्लीकेशन फॉर्म)/ "CAF"** का अर्थ है RPSL का आवेदन प्रपत्र, जिस पर हस्ताक्षर करके अन्य सहायक दस्तावेज़ों के साथ आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाइन अथवा मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए या साक्षात् रूप में एजेन्ट के स्थानों तथा/अथवा इस प्रकार के स्थानों पर प्रस्तुत किया जाए ताकि जिओ मनी सर्विसेस उपलब्ध हो सके।

f. **"फुल KYC अकाउंट"** का अर्थ है वह जिओ मनी अकाउंट जो निर्धारित नियमों की सीमा के अंतर्गत परिचालित किया जाए, जिसके लिए आवेदनकर्ता ने पहचान का वैध प्रमाण प्रस्तुत किया है साथ ही पते का प्रमाण, KYC गाइडलाइंस के अनुसार संबंधित KYC विवरण भी प्रस्तुत किए हों।

g. **"जिओ मनी वैलेट"** का अर्थ है उन समस्त उपकरणों (इंस्ट्रुमेंट्स) को धारण करने वाला तंत्र, जो या तो RPSL द्वारा जारी किए गये हैं अथवा अन्य उपकरण जो ग्राहक द्वारा सम्मिलित किए गये हैं। जिओ मनी वैलेट तक जिओ मनी मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा पहुंचा जा सकता है अथवा www.jiomoney.com के द्वारा या किसी अन्य चैनेल के ज़रिए जो RPSL द्वारा स्वीकृत तथा सहायता प्राप्त हो।

h. **"जिओ मनी अकाउंट"** का अर्थ है पूर्वदत्त (प्रिपेड) अकाउंट, लो KYC अकाउंट अथवा फुल KYC अकाउंट में से कोई एक, जो ग्राहक के नाम से खोला गया हो ताकि ग्राहक अपने मोबाइल फोन पर अथवा अन्य चैनलों के ज़रिए RBI तथा KYC के मार्गनिर्देशों का पालन करते हुए जिओ मनी सर्विसेस का लाभ प्राप्त कर सके।

i. **"जिओ मनी सर्विसेस"** अथवा **"सर्विसेस"** का अर्थ है पूर्वदत्त तथा/अथवा अन्य सेवाएं जो RPSL द्वारा जिओ मनी वैलेट/जिओ मनी अकाउंट के परिचालन से प्रस्तुत की जाती हैं।

j. **"KYC मार्गनिर्देश"/ "KYC"** का अर्थ है अपने ग्राहक को जानो (Know Your Customer) (KYC) मार्गनिर्देश, जो नियामक (रेगुलेटर) द्वारा निर्धारित किए गये हैं।

k. **"लो KYC अकाउंट"** का अर्थ है वह जिओ मनी अकाउंट जो निर्धारित नियमों की सीमा के अंतर्गत परिचालित किया जाए, जिसके लिए आवेदनकर्ता ने RPSL की नीति अनुसार केवल अपनी बुनियादी जानकारी प्रस्तुत की है।

l. **"अवयस्क" (अवयस्कों)** का अर्थ है वह व्यक्ति जो 10 (दस) वर्ष तथा 18 (अठारह) वर्ष की आयु के बीच का हो।

m. **"अवयस्क का अभिभावक"** का अर्थ है अवयस्क का प्राकृतिक अथवा नियुक्त किया गया अभिभावक।

n. **"व्यापारिक प्रतिष्ठान "** का अर्थ है वे व्यापारी जिनमें प्रत्यक्ष व्यापारी, अप्रत्यक्ष (रिमोट) व्यापारी, ई–कॉमर्स व्यापारी तथा अन्य कोई भी संस्था जिसे RPSL द्वारा प्राधिकृत (ऑथोराइज्ड) किया गया हो कि वह जिओ मनी वैलेट तथा/अथवा जिओ मनी अकाउंट के ज़रिए भुगतान स्वीकार कर सकता है।

o. **"RBI मार्गनिर्देश"** का अर्थ है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ("RBI") द्वारा जारी किए गये पूर्वदत्त उपकरणों के संबंध में लागू मार्गनिर्देशों, नियम, अधिसूचनाएं तथा निर्देश जिसमें KYC के मार्गनिर्देश भी शामिल हैं।

p. **"पेमेंट बैंक एन्टिटी"** का अर्थ है RPSL से संबंध रखने वाला (एफिलिएट) अथवा ग्रुप एन्टिटी, जिसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पेमेंट बैंक लाइसेंस जारी किया गया हो अथवा जारी किया जाने वाला हो।

q. **"RPSL"** का अर्थ है रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशन्स लिमिटेड, एक कंपनी जो भारत में समाविष्ट है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 5वां फ्लोर, कोर्ट हाउस, लोकमान्य तिलक मार्ग, धोबी तलाब, मुंबई–400 002 में स्थित है, जिसमें उसके नियुक्त (असाइन्स) भी शामिल हैं।

r. **"सौदा (ट्रांसक्शन्स) "** का अर्थ है कोई भी सौदा जो जिओ मनी अकाउंट में किया गया हो, जिसमें ग्राहकों अथवा उनकी ओर से किसी अन्य द्वारा किया सौदा भी शामिल है।

2. सामान्य शर्तें

a ग्राहक RPSL को प्राधिकृत करता है कि वह जिओ मनी सर्विसेस प्रदान करे तथा जिओ मनी अकाउंट खोले तथा उसे संभाले। ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने के दौरान एक सक्रिय मोबाइल फोन कनेक्शन अवश्य रखना होगा। ग्राहक के मोबाइल फोन कनेक्शन में कोई भी परिवर्तन, समाप्ति, रद्द होने अथवा समर्पण करने पर तुरंत RPSL को लिखित सूचना देनी होगी। ग्राहक के स्थायी पते तथा/अथवा संचार (कम्यूनिकेशन) पते तथा/अथवा अन्य संबंधित विवरण में यदि कोई भी परिवर्तन होता है तो उसकी RPSL को तुरंत सूचना देनी होगी तथा KYC के सहायक दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करना होगा जिनकी समय–समय पर RPSL को आवश्यकता पड़ सकती है।

b. ग्राहक को इस बात की पुष्टि करनी होगी कि उसके पास कोई दूसरा जिओ मनी अकाउंट नहीं है।

c. ग्राहक को इस बात की पुष्टि करनी होगी कि वह स्वस्थ मस्तिष्क का है।

d. ग्राहक जिओ मनी सर्विसेस का इस्तेमाल किसी भी ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं करेगा जो लागू कानून, जन नीति अथवा RPSL की प्रतिष्ठा या RPSL की नीति के विरुद्ध या प्रतिकूल तथा भेदभावपूर्ण हो।

e. RPSL जिओ मनी वैलेट तथा जिओ मनी अकाउंट जारी करेगा तथा परिचालन करेगा एवं जिओ मनी सर्विसेस की सेवाएं लागू कानून तथा इन नियमों एवं शर्तों के अनुरूप प्रदान करेगा।

f. ग्राहक को लो KYC अकाउंट से संबंधित लागू कानून में निर्धारित सीमाओं तथा प्रतिबंधों के साथ जिओ मनी सर्विसेस लागू कानून के अनुरूप लो KYC अकाउंट की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद प्रदान होंगी। इसी प्रकार फुल KYC अकाउंट की आवश्यकताओं को पूरी करने तथा उनके सत्यापन के पश्चात ग्राहक फुल KYC अकाउंट से जुड़ी जिओ मनी सर्विसेस की सेवाएं प्राप्त करने योग्य होगा।

g. अवयस्कों को RPSL द्वारा केवल लो KYC अकाउंट प्रदान किया जाएगा। वयस्कता प्राप्त करने पर अवयस्क द्वारा RPSL को आवश्यक सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे ताकि ज़रूरी औपचारिकताओं को पूरा किया जा सके तथा जिओ मनी सर्विसेस को जारी रखा जा सके।

h. किसी डीलर के स्थान से जिओ मनी सर्विसेस प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को केवल उन्हीं रिटेल डीलरों के पास जाना चाहिए जो प्राधिकृत हों तथा RPSL द्वारा नियुक्त किए गये हों तथा जहां जिओ मनी सर्विसेस का आवश्यक ब्रांड्स तथा लोगो प्रदर्शित किया गया हो।

i. इन नियमों तथा शर्तों की अवधि के दौरान RPSL द्वारा जारी किए गये मोबाइल PIN तथा/अथवा कोड तथा/अथवा पासवर्ड (इसके बाद प्रत्येक को ऑथेन्टिकेशन PIN के रूप में संबोधित किया जाएगा।) का ग्राहक एकमात्र तथा विशिष्ट स्वामी होगा। ग्राहक को उसके प्रयोग के लिए एकमात्र उत्तरदायित्व स्वीकार करना होगा साथ ही ऑथेन्टिकेशन PIN की गोपनीयता तथा सुरक्षा भी उसकी ज़िम्मेदारी होगी। ग्राहक ऑथेन्टिकेशन PIN की जानकारी किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं दे तथा किसी भी अप्राधिकृत एसएमएस/ई–मेल/फोन कॉल द्वारा मांगे गये ऑथेन्टिकेशन PIN का जवाब न दे। RPSL को किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में ज़िम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, यदि ग्राहक द्वारा किसी भी अप्राधिकृत व्यक्ति या किसी भी अन्य रूप में जहां ऑथेन्टिकेशन PIN की सुरक्षा से समझौता किया गया हो तथा जानकारी ज़ाहिर करने/साझा करने के परिणामस्वरूप ग्राहक का कोई भी नुकसान हुआ हो। ग्राहक जिओ मनी अकाउंट तथा जिओ मनी वैलेट की समस्त क्रियाकलाप का ज़िम्मेदार होगा चाहे उसे ग्राहक ने प्राधिकृत किया हो या नहीं।

j ग्राहक स्वीकार करता है कि जिओ मनी अकाउंट तथा सर्विसेस स्थानांतरित नहीं की जा सकतीं।

k जिओ मनी अकाउंट से कोई भी सौदा (ट्रांसक्शन) करने से पहले ग्राहक द्वारा इस बात को सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसमें पर्याप्त राशि (यदि कोई सेवा शुल्क हो तो उसे भी शामिल कर लें) उपलब्ध हो। ग्राहक ऑथेन्टिकेशन PIN का प्रामाणिक प्रयोग करते हुए RPSL को सौदों तथा निर्देशों की प्रक्रिया करने के स्पष्ट अधिकार की अनुमति देता है। ग्राहक के जिओ मनी अकाउंट में राशि की कमी की वजह से यदि उसे कोई सेवा प्रदान करने से इंकार किया जाता है तो उसके लिए RPSL किसी भी प्रकार जवाबदेह नहीं होगा।

l. यदि ग्राहक का मोबाइल/मोबाइल फोन कनेक्शन खो जाने तथा/अथवा चोरी हो जाने की घटना होने पर ग्राहक द्वारा तुरंत वेबसाइट पर दिए गये नंबर पर फोन करके कस्टमर कॉल सेंटर में शिकायत दर्ज करानी चाहिए तथा साथ ही उसे इसकी शिकायत लिखित रूप में अथवा ई–मेल के ज़रिए अथवा ऑनलाइन पर उपलब्ध फॉर्म या मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध फॉर्म अथवा किसी डीलर के ज़रिए भी दर्ज करानी चाहिए। इस बात की सूचना मिलने पर RPSL किसी भी लंबित (पेंडिंग) तथा भविष्य के सौदों की प्रक्रिया पर रोक लगा देगा। ग्राहक द्वारा इस प्रकार की सूचना दिए जाने से पहले यदि जिओ मनी अकाउंट से कोई अप्राधिकृत सौदा प्रक्रिया (प्रोसेस) कर दिया जाता है तो उसके लिए RPSL किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

m. जिओ मनी सर्विसेस के प्रयोग में ग्राहक द्वारा दी गयी जानकारी को RPSL द्वारा तीसरे पक्षों के साथ साझा किया जा सकता है, जिससे अन्य बातों के साथ जिओ मनी सर्विसेस के प्रावधानों को सरल बनाया जा सके। ग्राहक इस बात को भी स्वीकार करता है कि जिओ मनी अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए जो भी सूचना RPSL को प्रदान की गयी है वह RPSL (विषयानुसार) के पास निहित रहेगी तथा RPSL द्वारा अपने विवेक पर प्रयोग की जाएगी, जो किसी लागू कानून के किसी सुसंगत उद्येश्य के लिए होगी।

3. **अतिरिक्त शर्तें**

a. किसी भी ग्राहक का उसके नाम पर एक वैलेट से अधिक नहीं होगा। जिओ मनी अकाउंट का उपयोग केवल भारतीय रुपयों में सौदों के लिए किया जाएगा जिसमें कोई अन्य विदेशी मुद्रा सम्मिलित नहीं होगी। जिओ मनी अकाउंट से नकद विमोचन (रिडेम्पशन) अथवा नकद निकासी की अनुमति नहीं है।

b. RPSL सेवाओं के संबंध में जो बातें यहां स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं की गयी हैं, उनके विषय में जो कुछ भी अभिव्यक्त, निहित वारंटी, गारंटी, प्रतिनिधित्व अथवा उत्तरदायित्व नहीं लेता है। RPSL सेवाओं के संबंध में किसी तीसरे पक्ष जिनमें वे वितरक/रिटेलर्स/व्यापारी प्रतिष्ठान इत्यादि भी शामिल हैं जो स्पष्ट रूप से RPSL द्वारा प्राधिकृत नहीं हैं, ऐसे व्यक्तिओं के किसी भी कार्य या विलोपन (ओमिशन) के लिए RPSL उत्तरदायी नहीं होगा।

c. ग्राहक द्वारा RPSL को जिओ मनी सर्विसेस के संबंध में दी हुई किसी ग़लत जानकारी के लिए RPSL ग्राहक अथवा किसी अन्य व्यक्ति के प्रति उत्तरदाता नहीं होगा, जिसमें किसी प्रकार की देर, व्यापार, लाभ, आमदनी अथवा प्रतिष्ठा, अनुमानित बचत, क्षतियां, फीस की कीमत, व्यय इत्यादि में नुकसान अथवा किसी प्रकार के अप्रत्यक्ष अथवा पारिणामिक नुकसान इत्यादि जो जिओ मनी सर्विसेस की अनउपलब्धता/उपयोग के कारण या अन्य कारण से हुए हों।

d. व्यापारी प्रतिष्ठान तथा/अथवा डीलर के स्थान पर किए गये सौदों के लिए ग्राहक की यह ज़िम्मेदारी है कि वह सौदे के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बारे में अधिसूचना (नोटिफिकेशन्स) के द्वारा अपनी संतुष्टि कर ले। RPSL का पूरा प्रयास होगा कि वह सौदे के बारे में ग्राहक को सूचित कर दे फिर भी यदि किसी कारणवश सूचना ग्राहक तक नहीं पहुंचे तो इसके लिए RPSL को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यदि ग्राहक द्वारा व्यापारी प्रतिष्ठान को कोई ग़लत रकम हस्तांतरित कर दी जाती है तो वो रकम RPSL द्वारा किसी भी परिस्थिति में ग्राहक को लौटाई नहीं जाएगी। जिओ मनी अकाउंट में किसी अनाधिकृत सौदे के लिए RPSL उत्तरदायी नहीं होगा। किसी भी विवाद में सौदे के संबंध में RPSL के रिकॉर्ड्स बंधनकारी होंगे तथा उन पर ग्राहक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान को निर्भर करना होगा।

e. ग्राहक द्वारा सेवाओं के प्रयोग से किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान से ख़रीदे गये उत्पादन अथवा सेवाओं, जिसमें कोई शुल्क, टैक्सेस अथवा सौदों से संबंधित अन्य शुल्क भी शामिल हैं, के लिए RPSL किसी भी प्रकार से ज़िम्मेदार नहीं होगा। व्यापारिक प्रतिष्ठान इन बातों के लिए ग्राहक के प्रति एकमात्र उत्तरदायी होगा (i) व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत उत्पादनों अथवा सेवाओं के संबंध में समस्त सूचनाएं प्रदान करना। (ii) व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत उक्त उत्पादन अथवा सेवाए (iii) उक्त उत्पादनों अथवा सेवाओं की आपूर्ति तथा बिक्री तथा (iv) प्रोन्नति (प्रमोशनल) प्रस्ताव तथा योजनाएं, जिनमें व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा दिए गये कूपन्स भी शामिल हैं। RPSL किसी भी सामान/उत्पादनों तथा/अथवा सेवाओं का अनुमोदन (एन्डोर्स), प्रोत्साहन, समर्थन, प्रमाणित नहीं करता, जो ग्राहक द्वारा जिओ मनी अकाउंट के उपयोग से व्यापारिक प्रतिष्ठानों से ख़रीदे/सेवाएं प्राप्त कीं अथवा ख़रीदने/सेवाएं प्राप्त करने के लिए विचाराधीन हों।

f. RPSL ऐसी अन्य वेब साइट्स के लिंक्स भी दे सकता है जो तीसरे पक्षों द्वारा संभाली जाती हों। यह लिंक्स केवल ग्राहकों की सुविधा के लिए दिए जाएंगे तथा इन लिंक्स के प्रावधान का अर्थ यह नहीं है कि RPSL उन वेबसाइट्स का अथवा उन तीसरे पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे किसी भी उत्पादन/सेवाओं का अनुमोदन करता है। ग्राहक द्वारा इन सेवाओं को उपयोग करने पहले आवश्यक जांच–पड़ताल स्वयं करनी चाहिए।

g. किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ विवाद अथवा उसके प्रति कोई शिकायत हो तो उसे ग्राहक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा सीधे तौर पर आपस में सुलझाना होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राहक द्वारा जिओ मनी अकाउंट के उपयोग से ख़रीदे गये किसी सामान तथा/अथवा सेवाओं में कोई कमी पायी जाती है तो उसके लिए RPSL किसी भी प्रकार से ज़िम्मेदार अथवा उत्तरदायी नहीं होगा। उत्तरदायित्व का यह अपवर्जन (एक्सक्लुज़न) उन सामान तथा/अथवा सेवाओं पर भी लागू होता है जो व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रोन्नति योजनाओं (प्रोमोशनल स्कीम्स) के अंतर्गत RPSL द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ग्राहक को यह सलाह दी जाती है कि ख़रीदने से पहले उन सामान तथा/अथवा सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा तथा

योग्यता के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर ले। कोई भी प्रोत्साहन तथा अन्य लाभ जो अपनी प्रोन्नति योजनाओं (प्रोमोशनल स्कीम्स) के अंतर्गत RPSL द्वारा प्रदान कराए जाते हैं, वे लागू कानून के अंतर्गत होंगे।

h. ग्राहक स्पष्ट तौर से इस बात पर राज़ी है तथा अनुमति प्रदान करता है कि RPSL ग्राहक के आंकड़े (डेटा) तथा KYC दस्तावेज़ जो RPSL द्वारा हासिल किए गये हैं, को RPSL कंपनी समूह तथा उससे जुड़े व्यक्तियों में साझा कर सकता है जिसमें पेमेंट बैंक एन्टिटी भी शामिल है। इसके साथ ही ग्राहक पुष्टि करता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा वह RPSL को अधिकृत करता है कि ग्राहक के ऐसे आंकड़ों, जिनमें अन्य विवरण भी शामिल हैं, उसकी पहचान तथा पते के प्रमाणित सबूत की प्रतिलिपि, जो RPSL को प्राप्त हुई हैं, उन्हें RPSL कंपनी समूह तथा उससे जुड़े व्यक्तियों में साझा कर सकता है तथा यह दस्तावेज़ उनके द्वारा उनकी KYC पालन की आवश्यताओं (जिसमें पेमेंट बैंक एन्टिटी द्वारा बैंक अकाउंट खोलना भी शामिल है।) की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं।

i. ग्राहक यहां इस बात को स्वीकार करता है कि वह किसी भी व्यापारिक उद्देश्य के लिए सेवाओं के किसी भी हिस्से की प्रति तैयार करना, बेचना, पुर्नबिक्री, प्रतिकृति तथा कॉपी नहीं करेगा।

4. **संरक्षण (रिज़र्वेशन्स)**

a. ग्राहक की सही तथा उत्परिवर्तित (अपडेटेड) जानकारियों को एकत्र करना, प्रमाणीकरण तथा ऑडिट एवं उनका रखरखाव करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है तथा RPSL के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी समय संबंधित लागू KYC मार्गनिर्देशों के पालन के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकता है।

b. RPSL के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अपने विवेक से ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किया गया CAF तथा कोई दस्तावेज़ अस्वीकार कर सकता है। ऐसे CAF तथा दस्तावेज़ों, तथा साथ में प्रस्तुत किए गये फोटोग्राफ्स को अपने पास रखने का अधिकार RPSL के पास सुरक्षित है।

c. RPSL के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि वह ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी तथा विवरण, जो ग्राहक ने अपने KYC दस्तावेज़ों में दर्ज की हैं तथा उसके द्वारा भर कर दिए गये CAF से भिन्न पाता है तो वह अपने विवेक से किसी भी समय सेवाओं को रोक सकता है। ऐसे मामलों में RPSL के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व के बिना उचित, उपयुक्त तथा योग्य कारवाही कर सकता है।

d. RPSL के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह जिओ मनी सर्विसेस को निलंबित तथा/अथवा रोक सकता है या किसी भी समय जिओ मनी अकाउंट को बंद कर सकता है, जिसके लिए ग्राहक को पूर्व सूचना नहीं दी जाएगी, इसके लिए इनमें से कोई भी कारण हो सकता है पर कारण सीमित नहीं होंगेः (a) RBI द्वारा जारी किए गये कोई भी कानूनों, नियमों, आदेशों, निर्देशों, अधिसूचनाओं का ग्राहक द्वारा समय–समय पर कोई भी संदेहास्पद उल्लंघन अथवा इन नियमों तथा शर्तों का कोई उल्लंघन या लागू कानूनों के पालन का उल्लंघन; (b) विवरणों या KYC दस्तावेज़ों या ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किया गया CAF में कोई भिन्नता अथवा संदेहास्पद भिन्नता पायी जाए अथवा RPSL उनसे असंतुष्ट हो; (c) संभावित धोकाधड़ी, विध्वंस, जानबूझ कर किया जाने वाला विनाश, राष्ट्र की सुरक्षा को ख़तरा अथवा अन्य कोई अप्रत्याशित घटना के कारणों से संघर्ष (अधिक विस्तृत विवरण यहां क्लॉज़ 10 में दर्ज है) इत्यादि; (d) तकनीकी विफलता, संशोधन, अपग्रेडेशन, भिन्नता, पुनः स्थान निर्धारण, रिपेयर, मेंटिनेंस तथा/अथवा संचारण अयोग्यताएं; (e) यदि टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के कनक्शन, जिसके द्वारा ग्राहक का जिओ मनी अकाउंट लिंक्ड है, कार्य करना समाप्त कर दे अथवा ग्राहक के अधिकार में हो अथवा किसी भी अन्य कारणवश उसके नियंत्रण में हो; तथा/अथवा (f) ग्राहक यदि RPSL के अधिदेशाधीन (मेंडेटेड) की किसी कसौटी पर अयोग्य है। हांलांकि इस प्रकार जिओ मनी सर्विसेस के निलंबन/रोकने से पहले RPSL अपने स्वविवेक तथा लागू कानून के अंतर्गत ग्राहक को यह सुविधा दे सकता है कि वह अपने जिओ मनी अकाउंट में शेष रकम को स्थानांतरित तथा/अथवा उपयोग कर ले।

e. यदि किसी सौदे में ऐसा अनुमान होता है कि वह धोखेबाज़ी भरा, संदिग्ध अथवा अवांछनीय हो सकता है तो RPSL के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह ऐसे जिओ मनी अकाउंटों के परिचालन को फ्रीज़/जिओ मनी अकाउंट को बंद कर सकता है इसके साथ ही RPSL यदि उपयुक्त समझेगा तो योग्य अधिकारी से इसकी शिकायत भी कर सकता है।

f. RPSL के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी नेटवर्क के असफल होने पर सौदा रद्द कर सकता है। ऐसे मामले में अथवा RPSL के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण से सौदे में देर हो सकती है अथवा उसे पूरा करने में असफलता हो सकती है। इस प्रकार की देर या असफलता के कारण यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसके लिए RPSL उत्तरदायी नहीं होगा। RPSL वेबसाइट अथवा मोबाइल एप्लीकेशन संबंधित तकनीक तथा सेवाओं के साथ "जैसा है, जहां है" "अपनी समस्त कमियों के साथ" के आधार पर प्रदान करता है तथा यह प्रमाणित (वारंट) नहीं करता कि वेबसाइट अथवा मोबाइल ऐप अथवा उसका कोई सॉफ्टवेअर अबाध, त्रुटिहीन, पहुंच के अंदर या हर समय परिचालन के लिए उपलब्ध होगा या कोई भी त्रुटि ठीक की जा सकती है। इसी प्रकार RPSL यह भी प्रमाणित नहीं करता कि कोई भी लिंक्स जिनसे किसी गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है अथवा कोई फाइल, जो वेबसाइट अथवा मोबाइल ऐप के ज़रिए डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो, वह वायरस, वॉर्म्स अथवा अन्य ऐसे नुकसानदेह कोड से मुक्त होगा।

g. लागू कानूनों के अंतर्गत यदि जिओ मनी अकाउंट में "NIL" शेष रहता है तो ग्राहक RPSL से यह निवेदन करने के लिए हकदार हो सकता है कि ऐसे जिओ मनी अकाउंट को बंद कर दिया जाए। हालांकि यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में जिओ मनी अकाउंट से कोई भी राशि निकाली, दोबारा हासिल करने या ग्राहक को वापस लौटाई नहीं जाएगी जब तक लागू कानून की अनुमति न हो।

5. **विशेष सेवाएं–**

a) ग्राहक स्वीकार करता है कि RPSL विभिन्न बस ऑपरेटर्स/होटल्स/रेलवे या कोई अन्य सेवाओं की बुकिंग/ख़रीदने ("बुकिंग") टिकट्स/सेवाएं/उत्पादनों की सुविधा प्रदान करता है यह जिओ मनी वैलेट (**"विशेष सेवाएं"**) पर RPSL द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जो किसी तीसरे पक्ष के ज़रिए केवल ग्राहक की सुविधा के लिए ही प्रदान की जाएगी तथा इन सेवाओं या उत्पादनों के लिए RPSL ज़िम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

b) ग्राहक स्वीकार करता है कि RPSL ऐसी कोई अपनी विशेष सेवाए ऑपरेट/प्रदान/निर्माण नहीं करता, ना ही वह किसी विशेष सेवा प्रदाता का एजेन्ट है।

c) ग्राहक स्वीकार करता है कि वह विशेष सेवाएं अपने विवेक, जोख़िम के आधार पर प्राप्त करेगा तथा वो किसी विशेष सेवा प्रदाता के साथ किए गये सौदे के लिए एकमात्र जवाबदेह तथा उत्तरदायी होगा। ग्राहक स्वीकार करता है कि ग्राहक द्वारा विशेष सेवाएं हासिल करने/बुक करने के संबंध में RPSL किसी भी प्रकार जवाबदेह नहीं होगा यदि किसी भी कारणवश, जिनमें यह सब कारण शामिल हैं, परंतु कारण सीमित नहीं हैं, देरी, रद्द होना, ऑपरेटर्स/उनके कर्मचारियों द्वारा व्यवहार संबंधी विवाद, बैगों का खोना या अन्य नुकसान या चोट, असुविधा तथा क्षतियां। ग्राहक स्वीकार करता है कि वह इस प्रकार उत्पन्न हुए किसी भी दावे/उत्तरदायित्व/क्षति/मुकदमेबाज़ी इत्यादि में RPSL को क्षतिपूर्ति से मुक्त रखेगा।

d) ग्राहक विशेष सेवा प्रदाताओं/प्रचालक/तीसरा पक्ष सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में उनके नियमों/नीतियों से बाध्य होगा, जिसमें रद्द करने का शुल्क भी शामिल है तथा वह विशेष सेवाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद का निपटरा सीधे विशेष सेवा प्रदाता/प्रचालक के साथ करे।

e) ग्राहक स्वीकार करता है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान ग्राहक के लिए कोई योजना/डिस्काउंट कूपन्स/कूपन्स इत्यादि प्रदान/घोषित कर सकता है। ग्राहक इस प्रकार की योजना/डिस्काउंट कूपन्स/कूपन्स इत्यादि का उपयोग अपने विवेक तथा निर्णय से करेगा तथा ग्राहक द्वारा प्राप्त की गई इस प्रकार की योजना/डिस्काउंट कूपन्स/कूपन्स इत्यादि से संबंधित यदि कोई क्षति, कीमत, हर्जाना, मुकदमेबाज़ी, नुकसान इत्यादि होता है तो उसके लिए RPSL किसी प्रकार भी जवाबदेह नहीं होगा। ग्राहक स्वीकार करता है कि इस प्रकार की योजना/डिस्काउंट कूपन्स/कूपन्स इत्यादि की पुनःप्राप्ति/प्रयोग उपरोक्त व्यापारिक प्रतिष्ठान के नियमों तथा शर्तों के अंतर्गत होगा।

f) ग्राहक RPSL को अपनी स्वीकृति तथा पूर्ण अधिकार देता है कि वह ग्राहक द्वारा उपरोक्त व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ सौदे के आरंभ करने पर व्यापारिक प्रतिष्ठान को उसके जिओ मनी अकाउंट की शेष राशि की सूचना दे सकता है।

g) RPSL समय–समय पर अपने विवेक से कोई योजना तथा ग्राहक ऑफर्स ("ऑफर्स") घोषित कर सकता है, जो ऑफर की शर्तों के अंतर्गत होगा। RPSL के पास इस बात का एकल अधिकार होगा कि यदि RPSL को संदेह हो कि वह सौदा धोकाधड़ी, संदिग्ध अथवा दुरूपयोग का हो सकता है तो वह उस ऑफर का लाभ ग्राहक को देने से इंकार कर सकता है।

6. **शुल्क**

जिओ मनी अकाउंट, जिसमें जिओ मनी मोबाइल ऐप भी शामिल है, के उपयोग तथा प्रचालन के लिए वेबसाइट (www.jiomoney.com) के अनुसार समय–समय पर RPSL द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क लागू होगा। यह शुल्क लागू टैक्सेस, ड्यूटीज़, सेस के अतिरिक्त होगा। ग्राहक RPSL को बिना शर्त तथा अपरिवर्तनीय (इरिवोकेब्ली) अधिकृत करता है कि वह समय–समय पर ग्राहक के जिओ मनी अकाउंट से विषयानुसार लागू फीस तथा शुल्क एवं जिओ मनी अकाउंट प्रयोग करने का शुल्क RPSL द्वारा आवश्यकतानुसार डेबिट किया जा सकता है।

7. **सीमाएं**

ग्राहक के जिओ मनी अकाउंट में परिचालन के लिए सौदे (ट्रांसक्शन) तथा सौदे की सीमाओं का निर्धारण समय–समय पर संशोधित लागू कानून के अनुसार RPSL द्वारा अपने विवेक से किया जाएगा। ऐसे सौदे तथा सौदे की सीमाओं के बारे में ग्राहक को संचार (कम्यूनिकेशन) वेबसाइट (www.jiomoney.com) पर पोस्टिंग द्वारा किया जाएगा।

8. **क्षतिपूरण (इन्डेम्निटी)**

ग्राहक RPSL के प्रति क्षतियों, ख़र्चों, नुकसानों के लिए जवाबदेह होगा तथा वह स्वीकार करता है कि उसकी क्षतिपूर्ति, बचाव करेगा तथा RPSL को एवं डीलर को निर्दोष मानेगा जिसमें ग्राहक के किसी तथा समस्त दावों, नुकसानों, क्षतियों, उत्तरदायित्वों, कीमतों तथा ख़र्चों, जिनमें कानूनी फीस तथा ख़र्चे भी शामिल हैं परंतु यह बातें सीमित नहीं हैं, जिनके उत्पन्न होने का कारण होगा जिओ मनी सर्विसेस से संबंधित उपयोग अथवा दुरूपयोग करना, इन नियमों तथा शर्तों का उल्लंघन करना अथवा प्रतिनिधित्व में नियमभंग, ग्राहक द्वारा दिये गये आश्वासनों या इकरारनामे का उल्लंघन। ग्राहक RPSL को किसी भी धोके अथवा किसी घाटे, क्षति की वजह से हुए नुकसान की RPSL को क्षतिपूर्ति करेगा, इन नुकसानों का कारण होगा ग्राहक द्वारा सही स्थायी अथवा संचार पता देने में असफल होना तथा/अथवा ग्राहक द्वारा उपरोक्त सही स्थायी पते अथवा संचार पते में परिवर्तन/अदल बदल की सूचना देने में असफल होना।

9. **शर्तों में परिवर्तन**

यहां प्रयुक्त नियम तथा शर्तें लागू कानून के अधीन हैं। इसके साथ ही RPSL समय–समय पर इन नियमों तथा शर्तों को परिवर्तित, बदलाव अथवा संशोधित कर सकता है, जिनको RPSL अपनी वेबसाइट (www.jiomoney.com) पर अपडेट तथा प्रदर्शित करेगा। ग्राहक से अपेक्षा है कि वह इन नियमों तथा शर्तों में संशोधनों से अपने आप को अपडेट कर लेगा। इन नियमों तथा शर्तों में संशोधन के पश्चात् किए गये किसी भी सौदे को ग्राहक द्वारा नियमों तथा शर्तों में संशोधनों को मान्य समझा जाएगा। RPSL जिओ मनी सर्विसेस को किसी भी समय पूर्व सूचना देकर अथवा बिना पूर्व सूचना के आंतरिक नीतियों अथवा लागू कानून के कारण परिवर्तित,समाप्त तथा/अथवा निलंबित कर सकता है।

10. **स्वामित्व तथा मालिकाना अधिकार**

ग्राहक स्वीकार करता है कि वह जिओ मनी अकाउंट तथा सेवाओं के संबंध में किसी भी प्रकार एवं प्रकृति के बौद्धिक (इंटेलैक्चुअल) संपत्ति अधिकार का दावा/अधिकार की मांग नहीं करेगा। ग्राहक इसके अतिरिक्त यह भी दायित्व लेता है कि वह मोबाइल में उपस्थित एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, बदलाव, अस्पष्टता, अनुवाद, पुर्जे अलग करना, असंकलन (डीकंपाइल) अथवा सॉफ्टवेअर विपरीत इंजीनियर की चेष्टा नहीं करेगा अथवा सॉफ्टवेअर पर आधारित कोई व्युत्पन्न (डेरीवेटिव) उत्पाद की रचना नहीं करेगा। ग्राहक यह समझता है कि जिओ मनी सर्विसेस के प्रयोग माध्यम (यूज़र इंटरफेस), ग्राफिक्स, लोगोज़, डिज़ाइन, संकलन, सूचना, उत्पादन, सेवाएं, सॉफ्टवेअर तथा अन्य तत्व कॉपीराइट, डिज़ाइन, पेटेंट तथा ट्रेडमार्क कानून तथा अन्य बौद्धिक संपत्ति अथवा मालिकाना अधिकार रक्षित हैं जो RPSL तथा उससे संबंधित पक्षों के लिए हैं।

11. **अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेजेयोर)**

RPSL ग्राहक को किसी अप्रत्याशित घटना के अस्तित्व में होने की सूचना देगा तथा वह समस्त उचित कदम उठाएगा जिससे ग्राहक को भी उपयुक्त समाधान निकालने के लिए साथ लाया जा सके। **"अप्रत्याशित घटना"** का अर्थ है कोई भी ऐसी घटना जो किसी भी ऐसे कारण से हो जो RPSL तथा/अथवा इसके भागीदार बैंक के यथोचित नियंत्रण से बाहर हो, इसमें यह कारण शामिल हैं परंतु कारण सीमित नहीं हैं, किसी संचार प्रणाली की अनउपलब्धता, उल्लंघन अथवा प्रक्रियाओं में अथवा भुगतान प्रणाली में वायरस, विध्वंस, आगज़नी, बाढ़, विस्फोट, प्राकृतिक आपदा, जन आंदोलन, हड़ताल अथवा किसी प्रकार की औद्योगिक कार्रवाई, फसाद, विद्रोह, युद्ध, सरकारी कार्रवाई, कंप्यूटर हैकिंग, कंप्यूटर डेटा तथा स्टोरेज डिवाइस तक अनाधिकृत पहुंच, कंप्यूटर क्रैशेस, सेक्योरिटी तथा इंक्रिप्शन का उल्लंघन इत्यादि। इन नियमों तथा शर्तों के अंतर्गत RPSL का कोई अपेक्षित निष्पादन (ऑब्लिगेशन्स) यदि असफल हो जाता है तो RPSL उसके लिए जवाबदेह नहीं होगा तथा यदि उसका निष्पादन रुक जाता है, उसमें विघ्न आ जाता है अथवा किसी अप्रत्याशित घटना के कारण देर होती है तो ऐसे मामले में जब तक अप्रत्याशित घटना कायम रहती है तब तक RPSL का दायित्व निलंबित रहेगा।

12. **अकाउंट की समाप्ति**

जिओ मनी वैलेट की वैधता 12 महीनों की होती है जो शुरू होती है (i) जारी करने/सक्रिय होने की तारीख से अथवा (ii) ग्राहक द्वारा आख़री बार आर्थिक संचालन से, इनमें से जो भी बाद में हो। यदि कोई भी अप्रयुक्त (अनयूटिलाइज्ड) शेष राशि जो समाप्ति की तारीख़ के बाद जिओ मनी वैलेट में बची हो तो वह ज़ब्त होगी, RPSL के विवेक पर निर्भर करेगी। ऐसी परिस्थिति में RPSL ग्राहक को जिओ मनी अकाउंट समाप्त करने तथा शेष राशि ज़ब्त करने से पहले RBI के मार्गनिर्देशों के अनुसार 30 (तीस) दिनों की नोटिस देगा। ग्राहक की मृत्यु होने पर उसका कानूनी उत्तराधिकारी भी RPSL की नीतियों के साथ बाध्य होगा। कानूनी उत्तराधिकारी को RPSL की नीतियों के अनुसार कानूनी उत्तराधिकारी के दावे की प्रक्रिया करने के लिए RPSL द्वारा मांगे गये आवश्यक दस्तावेजों तथा जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

13. **सेवा की गुणवत्ता**

ग्राहक स्वीकार करता है कि किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा उसकी सेवा में कोई अयोग्यता अथवा किसी उत्पादन के ना पहुंचने (नॉन डिलीवरी) के विषय में RPSL किसी भी प्रकार जवाबदेह नहीं होगा। ग्राहक सेवा या उत्पादन के संबंध में किसी भी विवाद को सीधे व्यापारिक प्रतिष्ठान के सामने उठाएगा। RPSL अपनी नीति के अनुसार सेवा में अयोग्यता के कारणों के विषय में संबंधित सभी पक्षों की जांच–पड़ताल के लिए उचित कदम उठाएगा। RPSL द्वारा की गई इस जांच–पड़ताल के नतीजों से ग्राहक बाध्य होगा। शिकायतों के लिए तीव्र परिवेश (मैट्रिक्स) के साथ हर्जाना (रिड्रेसल) प्रणाली को निवेदन करने पर उपलब्ध कर दिया जाएगा। किसी प्रकार की शिकायत के लिए आप नोडल अधिकारी से NodalOffice.JioMoney@ril.com पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ग्राहक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान के बीच हुए सौदे के संबंध में उठे किसी भी विवाद में RPSL को पक्ष (पार्टी) नहीं बनाया जाएगा।

14. **दायित्व की सीमा**

किसी भी मामले में ग्राहक के प्रति हमारा संपूर्ण संचयी (कम्युलेटिव) उत्तरदायित्व नहीं होगा, जिसमें कोई या समस्त दावे, जो ग्राहक द्वारा सेवाओं के उपयोग से संबंधित अथवा उसके कारण उत्पन्न हुए हैं, चाहे इसमें किसी भी प्रकार की कार्यवाही, विवाद के अंतर्गत सौदे का कीमत से अधिक होना भी शामिल हो। किसी भी मामले में RPSL ग्राहक (या किसी तीसरे पक्ष जो ग्राहक के अधीन अथवा ग्राहक के द्वारा दावा कर रहा हो) के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, जो सेवाओं के उपयोग करने से अथवा उपयोग करने में अयोग्य रहने के कारण हुए किसी अप्रत्यक्ष, विशेष, आकस्मिक, पारिणामिक अथवा अनुकरणीय नुकसान की वजह से उत्पन्न होगा। यह अपवर्जन (एक्सक्लुज़न) किसी अन्य दावों पर भी लागू होगा जिनमें नष्ट लाभ, नष्ट डेटा, प्रतिष्ठा की हानि, काम का रुकना, कंप्यूटर फेल होना अथवा ख़राबी, कोई अन्य व्यावसायिक नुकसान अथवा हानियां शामिल हैं, चाहे इसके बारे में RPSL को मालूम हो अथवा उसे ऐसे होने वाले नुकसानों की संभावना मालूम होनी चाहिए थी।

15. **अस्वीकृति (डिस्क्लैमर)**

RPSL किसी भी कारण से पूर्व सूचना देकर अथवा बिना पूर्व सूचना के सेवाएं, वेबसाइट तथा/अथवा मोबाइल ऐप को निलंबित अथवा समाप्त कर सकता है। RPSL के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह वेबसाइट तथा/अथवा मोबाइल ऐप की सामग्री (कन्टेन्ट) परिवर्तित तथा/अथवा निलंबित अथवा वेबसाइट तथा/अथवा मोबाइल ऐप पर प्रस्तुत उत्पादन अथवा सेवा में परिवर्तन कर सकता है। ग्राहक स्वीकार करता है कि उपरोक्त किसी भी परिस्थिति में ग्राहक वेबसाइट तथा/अथवा मोबाइल ऐप का उपयोग अपने जोख़िम पर करेगा तथा RPSL किसी भी हानि तथा नुकसान के लिए जवाबदेह नहीं होगा।

16. **गोपनीयता नीति (प्राइवेसी पॉलिसी)**

वे समस्त सूचनाएं जो RPSL ग्राहक से एकत्र करता है जैसे पंजीकरण विवरण, हितभागी (बेनिफिशरी) अकाउंट तथा डबिट/क्रेडिट कार्ड की जानकारियां इत्यादि उसकी गोपनीय नीति के अंतर्गत आती है। ग्राहक स्वीकार करता है कि वह RPSL की वेबसाइट पर प्रकाशित प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ेगा तथा अपने आप को हर समय उससे अपडेट करता रहेगा।

17. **कार्यभार (असाइनमेंट)**

RPSL के पास यह अधिकार है कि वह इस प्रज़ेन्ट्स के लिए किसी तीसरे पक्ष को नियुक्त/हस्तांतरित कर सकता है, जिनमें उसकी नियंत्रक कंपनी, सहायक, संबंधित (एफीलिएट्स), सहयोगी तथा ग्रुप कंपनीज़ भी शामिल हैं। RPSL तथा ग्राहक सहमत हैं कि इसमें नियम तथा शर्तों का नवीनीकरण होगा अर्थात् RPSL तथा किसी संबंधित, नियंत्रक कंपनी, सहायक, सहयोगी तथा/अथवा RPSL की ग्रुप कंपनीज़ अथवा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के साथ होगा, जिसको RBI द्वारा पेमेंट बैंक लाइसेंस तथा सेमी–क्लोज़्ड प्रिपेड इंस्ट्रुमेंट्स जारी करने के लिए लाइसेंस जारी/हस्तांतरित किया गया अथवा किया जाएगा तथा ग्राहक की इस विषय में अपरिवर्तनीय सहमति है। इसके अलावा लागू कानून के अंतर्गत तथा RBI की पूर्व स्वीकृति से जहां भी लागू होता हो, जिओ मनी वैलेट तथा/अथवा जिओ मनी अकाउंट या उसका कोई हिस्सा RPSL द्वारा किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) को नियुक्त/हस्तांतरित किया जा सकता है, जिनमें संबंधित अथवा RPSL की ग्रुप कंपनीज़ भी शामिल हैं तथा इस विषय में ग्राहक अपरिवर्तनीय तथा स्पष्ट अनुमति देता है।

18. **न्यायिक शरण**

यह नियम तथा शर्तें किसी सिद्धांतों अथवा कानून के विरोधाभास को प्रभावित किए बिना भारतीय गणतंत्र के कानून द्वारा नियंत्रित तथा व्याख्या किए जाएंगे। जिओ मनी सर्विसेस के उपयोग में यदि कोई विवाद उपस्थित होता है तो केवल मुंबई की अदालतों को ही न्यायाधिकार होगा। ग्राहक स्पष्टरूप से अपनी सहमति देता है कि उपरोक्त अदालतों को व्यक्तिगत न्यायाधिकार (पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन) होगा तथा वह फोरम के लिए असुविधाजनक है अथवा अन्य किसी आधार पर ऐसे व्यक्तिगत न्यायाधिकार पर कोई भी आपत्ति त्याग देगा।

19. **नियम तथा समाप्ति (टर्म एण्ड टर्मिनेशन)**

ग्राहक स्वीकार करता है कि यह नियम तथा शर्तें तभी तक प्रभावी हैं जब तक इन्हें RPSL द्वारा समाप्त नहीं कर दिया जाता तथा RPSL के पास इन नियम तथा शर्तों को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। RPSL द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनके किसी भी हिस्से को RPSL खिसका (मूव), परिवर्तित, निलंबित अथवा समाप्त कर सकता है। RPSL के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह ग्राहक की सदस्यता समाप्त कर सकता है तथा ग्राहक के अकाउंट की समस्त सामग्री (कन्टेन्ट) हटा सकता है, जिसका कारण इस प्रकार होगा परंतु कारण सीमित नहीं हैं, संचालन की किसी नीति अथवा लागू कानून का उल्लंघन करना।